न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मु.न. 42/2020

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र नारायणदास,
2. लालचन्द पुत्र नारायणदास,
3. मुरलीधर पुत्र नारायणदास,
4. मक्खन लाल पुत्र नारायणदास,
5. भंवर लाल पुत्र नारायणदास,

समस्त जाति स्वामी, निवासी ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र जगदीश,
2. जगदीश दत्तक पुत्र भगवान सहाय,
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद,
4. श्रीकृष्ण कुमार पुत्र नानूदास,

   समस्त जाति स्वामी, निवासी ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये लेण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128, एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक– 16.11.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 109 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 109/1040 रकबा 0.05 हैक्टेयर, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.68 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। उक्त भूमियां ही प्रार्थना पत्र में भूमियां विवादग्रस्त हैं।

उक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त प्रार्थीगण व अन्य सह–खातेदारों की शामलाती खातेदारी की भूमियां हैं। जिन भूमियों पर प्रार्थीगण पुश्तेनी रूप से काबिज काश्त होकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर हर प्रकार से फायदे उठाते चले आ रहे हैं व लगान सरकारी जमा करवाते चले आ रहे हैं।

प्रार्थीगण ने उक्त वर्णित भूमियों का तहसीलदार चौमूं के आदेश क्रमांक भू.अ./2018/2629 दिनांक 09.06.2019 को पटवारी हल्का धिनोई द्वारा मौके पर जाकर प्रार्थीगण व अन्य की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की गई व उक्त सीमाज्ञान पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थीगण ने उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2019 की तहसीलदार चौमूं से दिनांक 27.10.2020 को प्राप्त कर व तहसीलदार चौमूं को उक्त सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया गया, लेकिन तहसीलदार चौमूं द्वारा पत्थरगढी करने से दिनांक 28.10.2020 इन्कार कर दिया, जिस कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.09 11:10:22 IST
Reason: SelfAttested

16/11/21

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित खसरा नम्बर 109, 109/1040 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.68 हैक्टेयर, वाके ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के बाबत अप्रार्थी संख्या 5 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा दिनांक 09.06.2019 की सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद के करवायी जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट धिनोई में पेश हुई। उभयपक्षकारान जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की सीधी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 09.06.2019 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2019 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **16.11.2021** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राहुल जैन
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.09 11:10:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner